रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 1993/श्रावण 25, 1915
No. 276] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 1993/SRAVANA 25, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1993

सं. 160 (93-सीमाशुल्क)

सा.का.नि. 555(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 155/86-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण (2) में,

"सं. 153 92-सीमाशुल्क, तारीख 26 मार्च, 1992" शब्दों और अंकों के स्थान पर "सं. 153/92-सीमाशुल्क, तारीख 26 मार्च, 1992, सं. 60 93-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1993" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 332/21/93-टी आर यू]
सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

NO. 160|93-Customs

G.S.R. 555(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 155|86-Customs, dated the 1st March, 1986, namely :—

In the said notification, in EXPLANATION (2), for the figures and words

"No. 153|92-Customs, dated the 26th March, 1992",

the figures and words—

"No. 153|92-Customs, dated the 26th March, 1992,
No. 60|93-Customs, dated the 28th February, 1993"

shall be substituted.

[F. No. 332|21|93-TRU]
SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993